22/3/18	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित ... अधिकारी के सभाकार्य में ... प्रकरण में सुनवाई नहीं हो ... पूर्ववत दिनांक 7/7/18 को पत्रावली माध्यम लोक अदालत हेतु किया गया है व पत्रावली वास्ते लोक अदालत केम्प- खेड़ली तंवरान में दि. 30.6.18 को पेश हो।	
30.6.18	पत्रावली लोक अदालत केम्प खेडली तंवरान मे पेश हुई। प्रति० नं० 1 उपस्थित। दिनांक 29/6/17 को पारित प्रा० डि० की पालना मे विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। प्रति० नं० 1 को सुना गया, प्रति० नं० 1 ने	नि.क. हेमराज

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
विभाजन प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए आदेशिका पर हस्ताक्षर (अंगूठा) किये अतः प्रकरण मे अंतिम डिक्री हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट दीगोद जिला कोटा लोक अदालत केम्प खेडली तंवरान

उनवान

1. कन्हैयालाल पुत्र धन्ना
2. बद्री बाई पुत्री धन्ना जाति गूर्जर निवासीगण डोबरली तहसील दीगोद जिला कोटा

–वादीगण

बनाम

1. हेमराज पुत्र धन्ना
2. हीरालाल पुत्र धन्ना
3. जगन्नाथी पुत्री धन्ना
4. रामजानकी पुत्री धन्ना जाति गूर्जर निवासीगण डोबरली तहसील दीगोद जिला कोटा
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53–188 आरटीएक्ट

मिसल नम्बर–90/15

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु मुझ तारामती वैष्णव आर.ए.एस. बहाजिरी मिनजानिब मुददई रुबरु मिनजानिब मुददालयह लोक अदालत में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि " विवादित आराजी वाके ग्राम महराना तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 546 रकबा 0.82 हे0 एवं ख0नं0 455 रकबा 0.03 हे0, ख0नं0 456 रकबा 0.05 हे0, ख0नं0 491 रकबा 1.05 हे0 कुल किता 3 रकबा 1.13 हे0 भूमि का पक्षकारान् के मध्य, तहसीलदार दीगोद से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है–

क0सं0	नाम खातेदार	ख0नं0	रकबा	लगान
1.	हेमराज पुत्र धन्ना जगन्नाथी पुत्री धन्ना जाति गूजर नि0 डोबरली	491 मध्य	0.35 हे0	11.90
2.	कन्हैयालाल पुत्र धन्ना बद्री पुत्री धन्ना जाति गूजर नि0 डोबरली	491 पूर्व	0.35 हे0	11.90
3.	हीरालाल पुत्र धन्ना रामजानकी पुत्री धन्ना जाति गूजर नि0 डोबरली	491 पश्चिम	0.35 हे0	11.90

शेष खसरा नम्बरान का पक्षकारान् द्वारा बैचान कर दिया गया है, पक्षकारान् के खाते में वर्तमान में ख0नं0 491 की भूमि है। तहसीलदार दीगोद उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में

Scanned by CamScanner

अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें।" तदनुसार अंतिम डिकी जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 30.06.2018 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(तारामती वैष्णव)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner